न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 63/2005

1 सहीराम पुत्र रामधन।
2 सुभाषचन्द्र पुत्र रामधन।
3 महेन्द्र सिंह पुत्र रामधन।
4 चान्दकोर बेवा रामधन समस्त जाति जाट निवासीगण खुडोल तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती बनारसी पुत्री रामधन पत्नी अमरसिंह।
6 श्रीमती चन्द्रपती पुत्री रामधन पत्नी समुद्रसिह समस्त जाति जाट निवासीगण पिचानवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 श्रीमती बिमला पुत्री रामधन बेवा मोहरसिंह जाति जाट निवासी भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
8 श्रीमती संतोष पुत्री रामधन पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी खानपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 साहबराम पुत्र श्योदानराम।
2 धर्मपाल पुत्र श्योदानराम।
3 जिलेसिंह पुत्र श्योदानराम।
4 श्रीमती निम्बो देवी बेवा श्योदानराम समस्त जाति जाट निवासीगण गिडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती रामकोरी पुत्री श्योदानराम पत्नी समेरसिंह जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा बमुकदमा उनवानी साहबराम वगैरह
बनाम सहीराम वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, मुकदमा नम्बर
27/2002 आदेश दिनांक 11.11.2005

अपील संख्या 59/2005

1 सहीराम पुत्र रामधन।
2 सुभाषचन्द्र पुत्र रामधन।
3 महेन्द्र सिंह पुत्र रामधन।
4 चान्दकोर बेवा रामधन समस्त जाति जाट निवासीगण खुडोल तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती बनारसी पुत्री रामधन पत्नी अमरसिंह।
6 श्रीमती चन्द्रपती पुत्री रामधन पत्नी समुद्रसिह समस्त जाति जाट निवासीगण पिचानवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 श्रीमती बिमला पुत्री रामधन बेवा मोहरसिंह जाति जाट निवासी भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
8 श्रीमती संतोष पुत्री रामधन पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी खानपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 साहबराम पुत्र श्योदानराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं(कैम्प झुन्झुनूं)

2 धर्मपाल पुत्र श्योदानराम।
3 जिलेसिंह पुत्र श्योदानराम।
4 श्रीमती निम्बो देवी बेवा श्योदानराम समस्त जाति जाट निवासीगण गिडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती रामकोरी पुत्री श्योदानराम पत्नी समुेरसिंह जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा बमुकदमा उनवानी सहीराम वगैरह
बनाम साहबराम वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व आदेश
39 नियम 1,2 व अन्तर्गत आदेश 40 नियम 1 व
धारा 151 सीपीसी मुकदमा नम्बर 113/1999
आदेश दिनांक 11.11.2005

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायणराम, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–28-2-23

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 11/1999 व 27/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2005

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 353/139 वाके ग्राम खुड़ोत के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने इसी भूमि के संदर्भ में रिसिवर नियुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की एवं अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह दो अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि संवत् 2012 अपीलांट एवं उनके पूर्वजों के नाम रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त भी अपीलांट का ही चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट अपीलांट की भूमि पर जबरन दखलअंदाजी करते है। केवल खसरा गिरदावरी संवत् 2027 से 2030 में रेस्पोडेन्ट की काश्त के आधार पर विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुए विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अपीलांट का रिसिवरी का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अपीलांट एवं उनके पूर्वजों के नाम रहना स्पष्ट प्रकट होता है। पक्षकारों के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है। पक्षकारों के मध्य विवाद का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय में लम्बित वाद में होना शेष है। इससे पूर्व वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विधिक त्रुटि की गई है।

जहां तक विवादित भूमि की रिसिवरी का प्रश्न है रिसिवरी का आदेश कठोर आदेश होता है। विवादित भूमि के वेस्ट डेमेज व एलिनेट का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर रिसिवरी नियुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 59/2005 खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 63/2005 स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 353/139 रकबा 0.54 हैक्टर वाके ग्राम खुड़ोत की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर